

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या:- 30/2022

दायर दिनांक:- 02.05.2022

निर्णय दिनांक:- 24.05.2022

उनवान

1. खलील अहमद पिता कमरुदीन निवासी आकोला।
2. दिलाशाद पिता कमरुदीन निवासी आकोला।
3. अखलाख पिता कमरुदीन निवासी आकोला।
4. शाहिद अली पिता कमरुदीन निवासी आकोला।
5. उम्मे सलमा पुत्री कमरुदीन निवासी आकोला।
6. अनिशा बानु पुत्री कमरुदीन निवासी आकोला।
7. नफीसा बानु पुत्री कमरुदीन निवासी आकोला।
8. आन हुसैन पिता लियाकत हुसैन निवासी आकोला
9. हुर हुसैन शाह पुत्री लियाकत हुसैन निवासी आकोला।
10. शिरीनशाह पुत्र लियाकत हुसैन निवासी आकोला।
11. नुरशाह पत्नी लियाकत हुसैन निवासी आकोला।
12. अयुब मोहम्मद पिता इब्राहिम निवासी आकोला।
13. मोहम्मद सिराज पिता इब्राहिम निवासी आकोला।
14. सरताज बानु पुत्री इब्राहिम निवासी आकोला।
15. सोनिया बानु पुत्री इब्राहिम निवासी आकोला।
16. जिनतबानु पुत्री जी शाह मुसलमान निवासी आकोला।
17. कौसर बानु पुत्री इब्राहिम निवासी आकोला।
18. आरजु बानु पुत्री इब्राहिम मुसलमान निवासी आकोला।
19. खातुन बेगम पत्नी इब्राहिम निवासी आकोला।
20. असलम पिता फकरुदीन निवासी आकोला।
21. अफजल पिता फकरुदीन निवासी आकोला।

प्रार्थीगण

बनाम

1. विनोद पिता रामचन्द्र खटीक निवासी आकोला।
2. रामजस पिता देव खटीक निवासी आकोला।
3. राकेश पिता सुन्दरलाल खटीक निवासी आकोला।
4. रज्जाक मोहम्मद पिता इस्माइल निवासी आकोला।
5. शरीफ अली पिता मुसा मुसलमान निवासी आकोला।
6. जुबैदा पत्नी लतीफ शाह मुसलमान निवासी आकोला।
7. रमेश पिता भैरूलाल छीपा निवासी आकोला।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। बार-बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है।



कि मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 5966 रकबा 0.97 है., कुल किता 1 कुल रकबा 0.97 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(भावना सिंह)

सहायक कलेक्टर व

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)